उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No. : 1028 दिनांक/Date : 20.9.2019

(संवाद–07)

जनपद–देहरादून में आबकारी सिपाही एवं प्रवर्तन सिपाही के पदों पर अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के संबंध में

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जनपद–देहरादून में पदनाम आबकारी सिपाही एवं प्रवर्तन सिपाही के पदों हेतु दिनांक 16.09.2019 से शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जा रहा है। गत 4–5 दिनों में आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र में निर्देशित किये गये पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जा रहे है जिससे भर्ती परीक्षा में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को कठिनाइयां आ रही है।

अतः आबकरी सिपाही एवं प्रवर्तन सिपाही के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी निर्धारित तिथि तथा निर्धारित समय पर एक फोटो युक्त पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य ऐसे प्रमाण पत्र अवश्य लेकर जाये जिनसे उन्हें शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानकों में छूट मिलनी हो। बिना ऐसे प्रमाण पत्रों के उपस्थित होंने पर ऐसे अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।

2019

(संतोष बडोनी)
सचिव।